न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 07/2025 **दायर दिनांकः 07.01.2025**

उनवान

1. राजेन्द्र आयु 42 वर्ष पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज.) मो.न. 9351176042

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव द्वितीय
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 30.06.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल छजावा तहसील अटरु जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 350 का खसरा नं. 19/1204 का रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 24/1201 का रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 28 का रकबा 2.98 है0, खसरा नं. 29 का रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 78 का रकबा 2.38 है0 कुल किता 5 का रकबा 5.56 हैक्टर हिस्सा 1/6 आराजी प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र के स्थान पर राजू दर्ज हो गया है जो कि गलत अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र है जो कि उसके आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेजो में भी राजेन्द्र नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेजात व सरपंच ग्राम पंचायत ढोटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर अपना नाम राजू के स्थान पर राजेन्द्र दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम राजू

कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से प्रार्थी कृषि योजनाओं इत्यादि का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। प्रार्थना पत्र पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल छजावा तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम/माल छजावा में खाता संख्या 350 की कुल किता 5 का रकबा 5.56 हैक्टर आराजी में प्रार्थी का नाम राजू के स्थान पर राजेन्द्र दर्ज करने अथवा विकल्प में राजेन्द्र उर्फ राजू करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/2376 दिनांक 30.06.2025 से रिपोर्ट पेश की गई। अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल छजावा पटवार हल्का ढोटी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 350, आधार कार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम व माल छजावा के खाता संख्या 350 में प्रार्थी की माता का फौती इन्तकाल संख्या 1134 दिनांक 27.11.2020 के शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत बराना के वारिसान प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र ही दर्ज है। अतः तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल छजावा, पटवार हल्का ढोटी, तहसील अटरु जिला बारां (राज.) के खाता

संख्या 350 का खसरा नं. 19/1204 का रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 24/1201 का रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 28 का रकबा 2.98 है0, खसरा नं. 29 का रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 78 का रकबा 2.38 है0 कुल किता 5 का रकबा 5.56 हैक्टर आराजी में सह खातेदार राजू पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र बद्रीलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल छजावा, पटवार हल्का ढोटी, तहसील अटरु जिला बारां (राज.) के खाता संख्या 350 का खसरा नं. 19/1204 का रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 24/1201 का रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 28 का रकबा 2.98 है0, खसरा नं. 29 का रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 78 का रकबा 2.38 है0 कुल किता 5 का रकबा 5.56 हैक्टर आराजी में सह खातेदार राजू पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र बद्रीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां